भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2764
दिनांक 18 मार्च, 2025 / 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

हिमाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

2764. डॉ. राजीव भारद्वाजः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हिमाचल प्रदेश को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अंतर्गत अबतक कुल कितनी निधि आबंटित की गई है;

(ख) हिमाचल प्रदेश की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी निधि आबंटित की गई है/आबंटित किए जाने का विचार है; और

(ग) वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत किन विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों में चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी, 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) को स्वीकृति दी है।

कार्यक्रम के परिकल्पना के अनुरुप हस्तक्षेप के लिए चिन्हित फोकस्ड क्षेत्रों द्वारा इन गांवों में पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, कौशल विकास और उद्यमिता तथा कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों आदि के खेती पर आधारित सहकारी समितियों के विकास द्वारा जीविकोपार्जन के अवसरों का सृजन करना है । इन हस्तक्षेपों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों में सड़क संपर्क सुविधा, ग्रामीण मूलभूत अवसंरचना का निर्माण, परम्परागत/नवीकरणी उर्जा की उपलब्धता एवं टेलीविजन और दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करना भी सम्मिलित है।

अभी तक हिमाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के अन्तर्गत चयनित गांवों में कुल रु. 93.57 करोड़ रुपये की लागत से 79 परियोजनाओं/कार्यों को गृह मंत्रालय द्वारा वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम एवं अन्य मंत्रालय द्वारा अभिसरण के माध्यम से स्वीकृति दी गई है।

*****